राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद्

2–संस्थानिक क्षेत्र, दैनिक भास्कर कार्यालय के पास , जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर

क्रमांक: RASP/2WG   दिनांक :– 30.3.17

आदेश

राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद् राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों की परिषद् है तथा परिषद् का मानना है कि राज्य सरकार की नीतियों को बेहतर तरीके से लागू करने एवं बेहतर शासन–प्रशासन आमजन तक पहुंचाने के लिए रिपोर्ट तैयार की जावे एवं राज्य सरकार को सुझाव दिये जावें। इस भावना को ध्यान में रखते हुए राजस्थान प्रशासनिक सेवा परिषद् ने निम्नांकित विषयों पर संलग्न सूची अनुसार कार्यकारी समूह (Working Group) बनाने का निर्णय लिया है :–

1. राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण।
2. स्वच्छ भारत मिशन एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान का सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन।
3. राज्य के राजस्व एवं निवेश वृद्धि के सम्बन्ध में।
4. संवेदनशील, पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन के लिये सुझाव।
5. भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के दुरूपयोग को रोकने एवं क्रियान्वयन के बारे में सुझाव देने के संबंध में।

- उक्त समूह संबधित विषय पर गहन अध्ययन कर विस्तृत रिपोर्ट (मय पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन) 2 माह में आर.ए.एस एसोसियेशन को प्रस्तुत करेंगे जो राज्य सरकार के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी।
- उक्त समूह संबंधित विषय पर रिपोर्ट तैयार करते समय एक या दो केस/संस्थान का गहन अध्ययन करेंगे।
- संबंधित विषय पर अर्न्तराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं अन्य राज्यों के संबंध में वांछित जानकारी कर राज्य में उसके उपयोग का परीक्षण करेंगे।

- समस्त समूहों में समन्वय एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने तथा निर्धारित समय में सभी ग्रुपों में रिपोर्ट तैयार करवा कर परिषद् के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए श्री गिरीश पाराशर (मो.नं. 9414237046) समन्वयक के रूप में कार्य करेंगे।
- आवश्यक होने पर समूह के सदस्य राज्य में किसी भी स्थान की फील्ड विजिट कर वास्तविक जानकारी प्राप्त करेंगे तथा आवश्यक होने पर अन्य राज्यों का भ्रमण कर वांछित जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।
- पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन में स्लाईड की संख्या यथासंभव 20 से ज्यादा न हो तथा आवश्यकता होने पर Hyperlink के माध्यम से विस्तृत सूचना/जानकारी की व्यवस्था की जायेगी।
- यथा सम्भव रिपोर्ट हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार की जायेगी तथा पावर पॉइन्ट प्रजेन्टेशन यथा संभव अंग्रेजी में प्रस्तुत किया जायेगा।
- यदि विद्यमन विधिक प्रावधानों में किसी तरह के संशोधन वांछनीय हो तो इसका स्पष्ट उल्लेख एवं विवरण रिपोर्ट में शामिल किया जायेगा।
- राजकोष पर पडने वाले भार की राशि एवं उसके प्रबंधन की व्यवस्था का भी स्पष्ट विवरण दिया जायेगा।
- रिपोर्ट में प्रत्येक पहलू का "लागत लाभ विश्लेषण" (Cost Benifit Analysis) किया जायेगा।
- समूहों द्वारा तैयार रिपोर्ट अकादमिक प्रकृती की न होकर व्यावहारिक पहलुओं पर आधारित होगी।

उपरोक्त समूहों की रिपोर्ट तैयार होने के उपरान्त परिषद् द्वारा माननीय मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के प्रमुख शासन सचिवों की एक बैठक आयोजित किये जाने के लिए निवेदन किया जावेगा तथा उस बैठक में इन प्रतिवेदनों का निस्तारण कराया जायेगा ताकि संबंधित विभाग इस संबंध में सुझावों को नोट कर सके एवं उसे राज्य के नियम/नीतियों में सम्मलित कर सके।

(पवन अरोड़ा)
अध्यक्ष

कार्यकारी समूह (Working Group)

1. राजस्व प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	मोबाईल नम्बर	पदनाम
1	श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत	9413315936	समन्वयक
2	श्री हनुमान मल ढाका	9929597474	सदस्य
3	श्री जसवन्त यादव	9784100015	सदस्य
4	श्री एस.पी. सिंह	9414323899	सदस्य
5	श्री सुनील भाटी	9413349447	सदस्य
6	श्रीमती आभा बेनीवाल	9414022929	सदस्य
7	श्री अशोक शर्मा प्रथम	9414051993	सदस्य सचिव

2. स्वच्छ भारत मिशन एवं मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान का सफल एवं प्रभावी क्रियान्वयन :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	मोबाईल नम्बर	पदनाम
1	श्री आशुतोष गुप्ता	9829146799	समन्वयक
2	श्री राजपाल सिंह यादव	9829250505	सदस्य
3	श्री अवधेश सिंह	9414253557	सदस्य
4	श्री राकेश शर्मा	9829180005	सदस्य सचिव
5	श्री असलम शेर खान	9799491377	सदस्य
6	श्री विनिता सिंह	9829018925	सदस्य
7	श्री मुकेश मीना	9414778568	सदस्य

3. राज्य के राजस्व एवं निवेश वृद्धि के सम्बन्ध में :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	मोबाईल नम्बर	पदनाम
1	श्री ओ0पी0बुनकर	9414244278	समन्वयक
2	श्रीमती अल्पा चौधरी	8696666626	सदस्य
3	श्री बचनेश अग्रवाल	9928370326	सदस्य
4	श्री अजय असवाल	9413332400	सदस्य
5	श्री गिरीश पाराशर	9414237046	सदस्य
6	श्री गौरव बजाज	9413313195	सदस्य
7	श्री जय सिंह	9414086221	सदस्य सचिव

4. संवेदनशील, पारदर्शी एवं प्रभावी प्रशासन के लिये सुझाव :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	मोबाईल नम्बर	पदनाम
1	श्री पंकज ओझा	9829301755	समन्वयक
2	श्री सुभाष महरिया	9414013140	सदस्य
3	श्री सेवाराम स्वामी	9950027744	सदस्य
4	श्री हेमचन्द स्वरूप माथुर	9799340000	सदस्य सचिव
5	श्री अनिल कुमार कौशिक	9414904888	सदस्य
6	श्री संजीव पांडे	9314502994	सदस्य
7	श्री राजकुमार सिंह	9414049700	सदस्य

5. भ्रष्टाचार निवारक अधिनियम के दुरूपयोग को रोकने एवं क्रियान्वयन के बारे में सुझाव देने के संबंध में :–

क्र.सं.	नाम अधिकारी	मोबाईल नम्बर	पदनाम
1	श्री करण सिंह प्रथम	9414046488	समन्वयक
2	श्री रामावतार मीणा,प्रथम	9414110811	सदस्य
3	श्री पुरूषोत्तम शर्मा	9829600225	सदस्य
4	श्री विवेक अरोड़ा	9414380014	सदस्य
5	श्रीमती आशु चौधरी	7300194417	सदस्य
6	श्री प्रवीन कुमार मील	9413311666	सदस्य
7	श्री राजकुमार कस्वां	9950126926	सदस्य सचिव

(पवन अरोड़ा)
अध्यक्ष